

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

पाधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

ਸ਼ਂ. 188] No. 188] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 2, 2014/चैत्र 12, 1936

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 2, 2014/CHAITRA 12, 1936

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2014

सा.का.नि. **258(अ)**.—केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 469 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के साथ पठित धारा 406 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम निधि नियम, 2014 है।
 - (2) ये नियम 1 अप्रैल, 2014 को प्रवृत्त होंगे।
- 2. विनियोगः- ये नियम निम्न को लागू होंगे-
 - (क) प्रत्येक कंपनी जिसे कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 620क की उपधारा (1) के अधीन किसी निधि अथवा परस्पर फायदा सोसायटी के रूप में घोषित किया गया था;
 - (ख) प्रत्येक कंपनी जो निधि कंपनी अथवा परस्पर फायदा सोसायटी के अनुरूप कार्य कर रही है किंतु उसने कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 620क की उपधारा (1) के अधीन निधि अथवा परस्पर फायदा सोसायटी के रूप में अधिसूचित किए जाने के लिए आवेदन नहीं किया है अथवा आवेदन किया है और अधिसूचित किए जाने की प्रतीक्षा कर रही है; और
 - (ग) प्रत्येक कंपनी को अधिनियम की धारा 406 के उपबंधों के अनुसरण में किसी निधि के रूप निगमित किया जाएगा।
- 3. परिभाषाएं- (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -
 - (क) "अधिनियम" कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) से अभिप्रेत है;

1509 GI/2014 (1)

- (ख) "संदिग्ध आस्तियां" से ऐसा उधार खाता अभिप्रेत है जो दो वर्ष से अधिक परंतु तीन वर्ष से कम समय से गैर-निष्पादन आस्ति है;
- (ग) "हानि आस्ति" से ऐसा उधार खाता अभिप्रेत है जो तीन वर्ष से अधिक समय से गैर-निष्पादन आस्ति रहा हो अथवा बोर्ड की राय में ऋण खाते की वसूली में कमी की संभावना हो क्योंकि निष्पादित लिखत विधिक प्रक्रिया के अधीन अथवा अन्य किसी कारण से अविधि हो जाएगी;
- (घ) "शुद्ध स्वामित्व निधि" से पिछली लेखा परीक्षित तुलन पत्र में दर्शित संचित हानि और अमूर्त आस्तियों द्वारा घटाई गई प्रदत्त शेयर पूंजी और ख़ुली आरक्षिति का योग अभिप्रेत है;

पंरतु अधिमान शेयरों को जारी करने की आय दर्शाने वाली राशि शुद्ध स्वामित्व निधि की गणना करने के लिए सम्मिलित नहीं की जाएगी।

- (ङ.) "गैर-निष्पादन आस्ति" से कोई उधार खाता अभिप्रेत है जिसके संबंध में ब्याज आय अथवा मूल रकम के पुनःसंदाय के प्रति ऋण की किश्त बारह मास से प्राप्त नहीं की गई है;
- (च) "मानक आस्ति" से ऐसी आस्ति अभिप्रेत है जिसके संबंध में मूल राशि के पुनःसंदाय अथवा ब्याज के संदाय में कोई व्यतिक्रम नहीं है अथवा होने की संभावना है तथा जिसने मूल राशि अथवा ब्याज के पुनःसंदाय संबंधी किसी समस्या का संकेत नहीं दिया है और न ही इसमें व्यापार से संबंधित सामान्य जोखिम से अधिक जोखिम है;
- (छ) "उप-मानक आस्ति" से ऐसा उधार खाता अभिप्रेत है जो गैर-निष्पादन आस्ति हैः

परंतु ऋण किश्त अथवा ब्याज संदाय के पुनर्निर्धारण अथवा पुनः समझौता अथवा पुनः क्रमबद्ध करने से किसी आस्ति का वर्गीकरण परिवर्तित नहीं होगा जब तक कि ऐसे पुनर्निर्धारण अथवा पुनः समझौता अथवा पुनः क्रमबद्ध करने के पश्चात् कम-से-कम बारह मास के लिए उधार खाता संतोषजनक ढ़ंग से निष्पादित न किया गया हो।

- (2) उन शब्दों और पदों के, जो इन नियमों के प्रयुक्त है किंतु परिभाषित नहीं है और अधिनियम या कंपनी (परिभाषा ब्यौरों के विनिर्देशन) नियम, 2014 में परिभाषित है, के वही अर्थ होंगे जो क्रमश: इन अधिनियमों या उक्त नियम में उनके हैं।
- 4. निगमन और आनुषंगिक मामले (1) अधिनियम के अधीन निगमित की जाने वाली निधि एक पब्लिक कंपनी होगी और उसकी न्यूनतम समादत्त साधारण शेयर पूंजी पांच लाख रूपए होगी।
- (2) अधिनियम प्रारंभ होने पर और उसके पश्चात् कोई निधि अधिमान शेयर जारी नहीं करेगी।
- (3) यदि किसी निधि द्वारा अधिमान शेयर इस अधिनियम के प्रारंभ होने से पहले जारी किए गए हों, ऐसे अधिमान शेयरों का मोचन इन शेयरों को जारी करने की शर्तों के अनुसार किया जाएगा।
- (4) नियम 6 के उपनियम (ड़) के परंतुक के अधीन उपबंधित व्यवस्था के सिवाय, कोई निधि अपने सदस्यों के मध्य किफायत और बचत की आदत बनाने के उद्देश्य से अपने संगम ज्ञापन में, इसके सदस्यों में आपसी फायदा के लिए जमा प्राप्त करने और उधार देने को छोड़कर कोई उद्देश्य नहीं जोड़ेगी।
- (5) "निधि" के रूप में निगमित प्रत्येक कंपनी अपने नाम के अंत में 'निधि लिमिटेड' शब्द भाग के रूप में जोड़ेगी।
- 5. **सदस्यों की न्यूनतम संख्या, शुद्ध स्वामित्व निधि आदि की अपेक्षाएं -** (1) प्रत्येक निधि, इन नियमों के प्रारंभ से एक वर्ष की अविध के भीतर सनिश्चित करेगी कि उसके पास-
 - (क) कम-से-कम दो सौ सदस्य हो;
 - (ख) दस लाख रूपए या उससे अधिक शुद्ध स्वामित्व निधि हों;
 - (ग) नियम 14 में यथाविहित बकाया जमा के कम-से-कम दस प्रतिशत तक भार मुक्त सावधि जमा हो; तथा

- (घ) जमा और शुद्ध स्वामित्व निधि का अनुपात 1:20 से अधिक न हो।
- (2) अपने निगमन के पश्चात् पहले वित्तीय वर्ष और जहां कहीं लागू हो, दूसरे वित्तीय वर्ष की समाप्ति से 90 दिन के भीतर कोई निधि प्ररूप **एनडीएच-1** में और कंपनी (रजिस्ट्रीकरण कार्यालय तथा फीस) नियम, 2014 में यथाविहित फीस के साथ किसी व्यवसायरत कंपनी सचिव अथवा व्यवसायरत चार्टड अंकाउटेंट अथवा व्यवसायरत लागत लेखाकार द्वारा सम्यक् रूप से प्रमाणित करवा कर रजिस्ट्रार को सांविधिक अनुपालन की विवरणी दाखिल करेगी।
- (3) यदि कोई निधि उपर्युक्त उपनियम (1) के खंड (क) अथवा (घ) का अनुपालन नहीं करती है तो उसे पहले वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 30 दिन के भीतर कंपनी (रजिस्ट्रीकरण कार्यालय तथा फीस) नियम, 2014 में यथाविहित फीस के साथ प्ररूप एनडीएच- 2 में समय बढ़ाने के लिए क्षेत्रीय निदेशक को आवेदन करना होगा और क्षेत्रीय निदेशक आवेदन प्राप्ति के 30 दिन के भीतर आवेदन पर विचार कर सकेगा और आदेश पारित करेगा।

स्पष्टीकरण – इस नियम के प्रयोजन के लिए "क्षेत्रीय निदेशक" से केन्द्रीय सरकार के कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा क्षेत्रीय निदेशक रूप में नियुक्त व्यक्ति से अभिप्रेत है;

(4) यदि इस नियम के उपनियम (1) के अनुपालन में असफलता, दूसरे वित्तीय वर्ष के पश्चात् भी जारी रहती है तो निधि दूसरे वित्तीय वर्ष के प्रारंभ होने पर आगे कोई जमा तब तक स्वीकार नहीं करेगी जब तक कि वह उपनियम (1) में अंतर्विष्ट उपबंधों का अनुपालन न करे और वह अधिनियम में यथाविहित शास्ति परिणामों की दायी होगी।

6. **साधारण निर्बंधन या प्रतिषेध –** कोई निधि,-

- (क) चिट फंड, किराया खरीद वित्त, वित्त लीज़ पर देने का कार्य, बीमा और किसी कारपोरेट निकाय द्वारा जारी प्रतिभूति के अर्जन का कारबार नहीं करेगी;
- (ख) किसी नाम अथवा किसी प्ररूप में अधिमान शेयर, डिबेंचर अथवा कोई अन्य ऋण लिखत जारी नहीं करेगी;
- (ग) अपने सदस्यों के साथ कोई चालू खाता नहीं खोलेगी;
- (घ) किसी अन्य कंपनी का प्रतिभूति की खरीद द्वारा अर्जन अथवा किसी अन्य कंपनी के निदेशक बोर्ड के संयोजन पर किसी भी प्रकार से नियंत्रण अथवा अपने प्रबंधन में परिवर्तन के लिए कोई समझौता करना जब तक कि उसकी आम बैठक में एक विशेष संकल्प पारित किया गया हो और ऐसी निधि पर क्षेत्राधिकार वाले क्षेत्रीय निदेशक का पूर्व अनुमोदन प्राप्त न किया गया हो;

स्पष्टीकरण – इस उप नियम के प्रयोजन के लिए, 'नियंत्रण' से अधिनियम की धारा 2 के खंड (27) में निर्दिष्ट आशय से अभिप्रेत है;

(ड़) अपने नाम से ऋण देने और लेने के अतिरिक्त कोई व्यवसाय नहीं करेगी;

परंतु इन नियमों के सभी उपबंधों का पालन करने वाली निधियां अपने सद्स्यों को किराए पर लॉकर सुविधा देंगी परंतु इस सुविधा से प्राप्त किराया एक वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी समय निधि की कुल आय के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

- (च) अपने सदस्यों के अलावा किसी अन्य व्यक्ति से जमा स्वीकार नहीं करेगी अथवा ऋण नहीं देगी;
- (छ) अपने सदस्यों द्वारा जमा कराई गई किसी आस्ति का प्रतिभूति के रूप में प्रयोग नहीं करेगी;
- (ज) किसी कारपोरेट निकाय से जमा नहीं लेगी अथवा धन राशि उधार नहीं देगी;
- (झ) अपने उधार लेने और उधार देने के कार्यकलापों में कोई भागीदारी समझौता नहीं करेगी;
- (ञ) जमा आमंत्रित करने के लिए किसी भी रूप में कोई विज्ञापन जारी नहीं करेगी अथवा कराएगी;

परंतु निधि के सदस्यों के बीच सावधि जमा योजनाओं के विवरण का निजी परिचालन जिन पर 'केवल सदस्यों में निजी परिचालन हेतु' शब्द हो, को जमा आमंत्रित करने का विज्ञापन नहीं माना जाएगा।

- (ट) सदस्यों से जमा एकत्र करने अथवा धनराशि का प्रयोग करने अथवा ऋण प्रदान करने के लिए किसी दलाली अथवा प्रोत्साहन का भुगतान नहीं करेगी।
- 7. शेयर पूंजी और आबंटन (1) प्रत्येक निधि नाममात्र मूल्य, जो दस रूपए प्रति शेयर से कम न हो, पर साधारण शेयर जारी करेगी:

परंतु यह अपेक्षा नियम, 2 के उपनियम (क) और उपनियम (ख) में उल्लिखित किसी कंपनी पर लागू नहीं होगी।

- (2) शेयरों को जारी करने के लिए कोई सेवा प्रभार नहीं लगाया जाएगा।
- (3) प्रत्येक निधि प्रत्येक जमाकर्ता को कम-से-कम दस साधारण शेयर अथवा सौ रूपए के बराबर शेयर आंबटित करेगी;

परंतु कोई बचत खाता धारक तथा आवर्ती जमा खाता धारक कम-से-कम दस रूपए का एक साधारण शेयर रखेगा।

- **8. सदस्यता –** (1) कोई निधि किसी कारपोरेट निकाय अथवा न्यास को सदस्य नहीं बनाएगी।
- (2) इन नियमों के अधीन दी गई अनुज्ञा के सिवाय, प्रत्येक निधि यह सुनिf'pr करेगी कि इसके सदस्यों की संख्या किसी भी समय दौ सौ से कम न हो।
- (3) किसी भी अवयस्क को निधि का सदस्य नहीं बनाया जाएगाः

परंतु कि अवयस्क के नाम से जमा स्वीकार किया जाएगा यदि उसका प्राकृतिक अथवा कानूनी अभिभावक निधि का सदस्य है ।

- 9. **शुद्ध स्वामित्व निधि –** प्रत्येक निधि शुद्ध स्वामित्व निधि (किसी अधिमान शेयर पूंजी की आय को छोड़कर) रखेगी जिसमें न्यूनतम दस लाख रूपए अथवा वह अधिक रकम होगी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जाए।
- **10.** शाखाएं (1) कोई निधि केवल तभी शाखाएं खोलेगी, जब उसने पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान कर देने के पश्चातृ निरंतर शुद्ध लाभ अर्जित किया हो।
- (2) उपनियम (1) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन कोई निधि एक जिले में तीन शाखाएं खोल सकेगी।
- (3) यदि किसी निधि का जिले में तीन से अधिक शाखाएं अथवा जिले के बाहर कोई शाखा खोलने का प्रस्ताव है तो वह क्षेत्रीय निदेशक की पूर्व अनुमति प्राप्त करेगी और शाखा खुलने के तीस दिन के भीतर प्रत्येक शाखा खुलने की सूचना रजिस्ट्रार को देगी।
- (4) कोई निधि राज्य, जहां इसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय स्थित है, के बाहर शाखाएं अथवा एकत्रीकरण केन्द्र अथवा कार्यालय अथवा जमा केन्द्र अथवा चाहे जिस नाम से भी ज्ञात हो, नहीं खोलेगी।
- (5) कोई निधि रजिस्ट्रार को वित्तीय विवरण तथा वार्षिक रिटर्न (अद्यतन) फाइल किए बिना शाखाएं अथवा एकत्रीकरण केन्द्र अथवा कार्यालय अथवा जमा केन्द्र अथवा चाहे जिस नाम से भी ज्ञात हो, नहीं खोलेगी।
- (6) कोई निधि किसी शाखा को बंद नहीं करेगी जब तक कि-
- (क) उस स्थान, जहां वह कार्य करती है, में समापन की तारीख से कम-से-कम तीस दिन पहले किसी समाचार पत्र में प्रांतीय भाषा में एक विज्ञापन जनता को सूचित करते हुए प्रकाशित न करे;
- (ख) खंड (क) के अंतर्गत प्रकाशित विज्ञापन की तारीख से कम-से-कम तीस दिन की अवधि के लिए उक्त विज्ञापन की एक प्रतिलिपि अथवा शाखा बंद करने की सूचना देते हुए एक नोटिस निधि के सूचनापट्ट पर लगाया जाए; तथा
- (ग) शाखा बंद करने के तीस दिन के भीतर रजिस्ट्रार को सूचित किया जाए।
- 11. निधियों द्वारा जमा की स्वीकृति (1) कोई निधि अपने पिछले लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण के अनुसार अपने शुद्ध स्वामित्व निधि के बीस गुना से अधिक जमा स्वीकार नहीं करेगी।
- (2) नियम 2 के खंड (क) और (ख) के अंतर्गत सम्मिलित तथा 26 जुलाई, 2001 को और उससे पहले विद्यमान कंपनियों के मामले में जिन्होंने उपर्युक्त सीमा से अधिक जमा स्वीकार की है, अपनी शुद्ध स्वामित्व निधि स्थिति को बढ़ाकर अथवा विकल्पतः निम्नलिखित सारणी के अनुसार जमा घटाकर निर्धारित सीमा का अनुपालन करेगी;

सारणी

शुद्ध स्वामित्व निधि और जमा का अनुपात (31.03.2013 तक)	वह तारीख जब कि कंपनी को 1:20 की विहित सीमा प्राप्त करनी है
(क) 1:20 से अधिक परंतु 1:35 तक	31.03.2015 तक
(ख) 1:35 से अधिक परंतु 1:45 तक	31.03.2016 तक
(ग)1:45 से अधिक	31.03.2017 तक

- (3) उपर्युक्त उक्त नियम (2) में तालिका के अंतर्गत आने वाली कंपनियां ऐसी कोई नई जमा स्वीकार नहीं करेंगी अथवा विद्यमान जमा का नवीकरण नहीं करेंगी जो विहित अनुपात का अतिक्रमण करती हो।
- (4) उपर्युक्त उपनियम (2) में विनिर्दिष्ट अनुपात वर्धनात्मक जमा पर भी लागू होगा।
- 12. जमा के लिए आवेदन प्ररूप (1) किसी निधि में जमा करने के लिए प्रत्येक आवेदन प्ररूप में निम्नलिखित विशिष्टियां होंगी अर्थात;
- (क) निधि का नाम;
- (ख) निधि के निगमन की तारीख;
- (ग) निधि द्वारा किए जा रहे कार्यकलाप जिसमें शाखाओं, यदि कोई हों, का विवरण;
- (घ) निधि के प्रबंधन की संक्षिप्त विशिष्टियां (निदेशकों के नाम, पते और व्यवसाय, डिन समेत) ;
- (ड़) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान कर का उपबंध करने से पूर्व और पश्चात् निधि के शुद्ध लाभ;
- (च) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान निधि द्वारा घोषित लाभांश;
- (छ) जमा पुनःसंदाय का तरीका;
- (ज) जमा की परिपक्वता अवधि;
- (झ) जमा पर संदेय ब्याज;
- (ञ) यदि जमाकर्ता समय से पूर्व जमा वापस लेता है तो जमाकर्ता को संदेय ब्याज दर;
- (ट) निबंधन और शर्तें जिनके अधीन जमा स्वीकार अथवा नवीकरण किया जाएगा
- (ठ) पिछले दो लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति का सार जो निम्नलिखित है:
 - (i) शुद्ध स्वामित्व निधि
 - (ii) स्वीकृत जमा
 - (iii) पुनः संदत्त जमा
 - (iv) दावाकृत जमा परंतु अभी शेष असंदत्त
 - (v) निम्नलिखित के लिए वितरित ऋण-
 - (क) स्थावर संपत्तिः
 - (ख) जमा: और
 - (ग) सोना तथा जेवर
 - (vi) कर से पहले लाभ
 - (vii) कर के लिए उपबंध
 - (viii) कर के पश्चात् लाभ
 - (ix) प्रति शेयर लांभाश

- (ढ़) अन्य कोई विशेषताएं अथवा निबंधन तथा शर्तें जिनके अधीन जमा को स्वीकार अथवा नवीकरण किया गया है।
- (2) आवेदन प्ररूप में निम्नलिखित विवरण भी जोड़ा जाएगा, अर्थात:-
- (क) जमा की शर्तों और निबंधनों के अनुसार जमा अथवा उसके किसी भाग का संदाय न होने के मामले में जमाकर्ता निधि पर अधिकार क्षेत्र वाले कंपनी रजिस्ट्रार से संपर्क करेगा;
- (ख) निधि की अपने जमाकर्ताओं की सेवा में किसी त्रुटि के मामले में जमाकर्ता अपने अनुतोष के समाधान के लिए, यथास्थिति, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद समाधान मंच, राज्य उपभोक्ता विवाद समाधान मंच अथवा जिला उपभोक्ता विवाद समाधान मंच, में जा सकेगा;
- (ग) निदेशक बोर्ड द्वारा इस आशय का घोषणा पत्र कि निधि की जैसी वित्तीय स्थिति प्रकट की गई है और आवेदन प्ररूप में की गई प्रविष्टियां वास्तविक तथा सही है और कि निधि ने सभी लागू नियमों का अनुपालन किया है;
- (घ) इस आशय का कथन कि केन्द्रीय सरकार निधि की वित्तीय सुदृढ़ता अथवा निधि द्वारा प्रस्तुत किसी कथन अथवा आवेदन अथवा मत की सत्यता का उत्तरदायित्व नहीं लेती;
- (ड़) निधि द्वारा स्वीकृत जमा का बीमा नहीं है और जमा के पुनःसंदाय की गारंटी केन्द्रीय सरकार अथवा भारतीय रिजर्व बैंक दोनों में से किसी की नही है; तथा
- (च) जमाकर्ता द्वारा अभिकथित सत्यापन खंड कि निधि द्वारा दिए गए वित्तीय और अन्य ब्यौरे तथा आवेदन प्ररूप में किए गए अभ्यावेदन को पढ़ा है और समझा है तथा ध्यानपूर्वक विचार करने के पश्चात् वह अपने जोखिम और अपनी इच्छा शक्ति से निधि में जमा कर रहा है।
- प्रत्येक निधि नए जमाकर्ताओं का खाता खोलने अथवा उनकी जमा स्वीकार करने से पहले उचित परिचय प्राप्त करेगी और ऐसे परिचय के प्रयोजन के लिए दिए गए साक्ष्य, जिस पर विश्वास किया गया हो, का रिकॉर्ड रखेगी।
- 4. जमाकर्ताओं के परिचय के प्रयोजन के लिए कोई निधि जमाकर्ता की पहचान और पते के सबूत के लिए निम्नलिखित दस्तावेजी सबूत प्राप्त करेगी;

(क) पहचान का सबूत (निम्नलिखित में से कोई एक)

- (i) पासपोर्ट
- (ii) विशिष्ट पहचान संख्या
- (iii) आयकर पैन कार्ड
- (iv) मतदाता फोटो पहचान पत्र
- (v) चालन अनुज्ञप्ति
- (vi) राशन कार्ड

(ख) पते का सबूत (निम्नलिखित में से कोई एक)

- (i) पासपोर्ट
- (ii) विशिष्ट पहचान संख्या
- (iii) मतदाता फोटो पहचान पत्र
- (iv) चालन अनुज्ञप्ति
- (v) राशन कार्ड
- (vi) टेलीफोन बिल
- (vii) बैंक खाता विवरण
- (viii) बिजली का बिल

(उपर्युक्त क्रम संख्या (vi), (vii) और (viii) में निर्दिष्ट दस्तावेज दो महीने से ज्यादा पुराने नहीं होंगे)

- 13. जमा (1) सावधि जमा न्यूनतम छः मास और अधिकतम साठ मास की अवधि के लिए स्वीकार किए जाएंगे।
- (2) आवर्ती जमा न्यूनतम बारह मास और अधिकतम साठ मास की अवधि के लिए स्वीकार किए जाएंगे।

- (3) बंधक ऋणों से सबंधित आवर्ती जमा के मामले में, आवर्ती जमा की अधिकतम अविध निधि द्वारा दिए जाने वाले ऐसे ऋणों की संदाय अविध के अनुरूप होगी।
- (4) ब्याज के लिए पात्र बचत जमा खाते में किसी भी समय अधिकतम एक लाख रूपए का अधिकतम शेष होगा और ब्याज की दर किसी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा बचत खाते पर देय ब्याज दर से दो प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।
- (5) कोई निधि सावधि और आवर्ती जमा पर ऐसी ब्याज दर का प्रस्ताव करेगी जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित अधिकतम ब्याज दर, जो गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनियां अपनी सार्वजनिक जमा पर दे सकती है, से अधिक नहीं होगी।
- (6) कोई सावधि जमा खाता अथवा आवर्ती जमा खाता जमाकर्ता द्वारा निम्नलिखित के अधीन रहते हुए समय से पहले बंद किया जा सकता है, अर्थात्;
 - (क) कोई निधि जमा स्वीकार करने की तारीख से तीन मास की अवधि में किसी जमा का संदाय नहीं करेगी;
- (ख) यदि कोई निधि जमाकर्ता के अनुरोध पर तीन मास की अवधि का पश्चात् किसी जमा का संदाय करती है तो जमाकर्ता को जमा की तारीख से छः मास तक के लिए कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा;
- (ग) यदि कोई निधि जमाकर्ता के अनुरोध पर उस अवधि, जिसके लिए निधि द्वारा जमा स्वीकार किया गया था, समाप्त होने से पहले संदाय करती है तो ऐसे जमा पर निधि द्वारा देय ब्याज दर उस दर से दो प्रतिशत कम होगी जो साधारणतया निधि अवधि, जिसके लिए जमा स्वीकार किया गया था, पूरी होने के पश्चात्, करती;

परंतु जमाकर्ता की मृत्यु की दशा में, जमा जीवित जमाकर्ता या संयुक्त धृति की दशा में जीवित खंड के साथ जमाकर्ताओं, नामनिर्देशितियों या विधिक उत्तराधिकारियों को पुनंर्सदाय की तारीख तक उस ब्याज की दर पर जिस पर कंपनी साधारणतया संदाय करती यदि जमा उस अविध के लिए स्वीकार किया जाता जिस तक ऐसा जमा होता, संदाय किया जा सकेगा।

14. भारमुक्त सावधि जमा – प्रत्येक निधि किसी अधिसूचित वाणिज्यिक बैंक (किसी सहकारी बैंक अथवा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से भिन्न) अथवा डाकघर में अपने नाम से भारमुक्त सावधि जमा में ऐसी राशि निवेश करेगी और निवेश करना जारी रखेगी जो दूसरे पूर्ववर्ती मास के अंतिम कार्य दिवस को व्यापार समाप्ति पर बकाया जमा के दस प्रतिशत से कम न हो;

परंतु अप्रत्याशित प्रतिबद्धताओं की दशा में, जमाकर्ताओं को उन शर्तों और समय-सीमा, जो क्षेत्रीय निदेशक द्वारा दस प्रतिशत की निर्धारित सीमा को बनाए रखने के लिए विहित की जाए, में संदाय के प्रयोजन के लिए क्षेत्रीय निदेशक के पूर्व अनुमोदन के साथ अस्थायी धन वापसी की अनुमति दी जा सकती है।

- 15. ऋण (1) कोई निधि केवल अपने सदस्यों को ऋण उपलब्ध कराएगी।
- (2) निधि द्वारा किसी सदस्य को दिए गए ऋण निम्नलिखित सीमाओं के अधीन होंगे, अर्थात:-
- (क) दो लाख रुपए, जहां ऐसी निधि को इसके सदस्यों से जमा की कुल राशि दो करोड़ रुपए से कम है;
- (ख) साढ़े सात लाख रुपए, जहां ऐसी निधि को इसके सदस्यों से प्राप्त जमा की कुल राशि दो करोड़ रुपए से अधिक किन्तु बीस करोड़ रुपए से कम है,
- (ग) बारह लाख रुपए, जहां ऐसी निधि को इसके सदस्यों से प्राप्त जमा की कुल राशि बीस करोड़ रुपए से अधिक किंतु पचास करोड़ रुपए से कम है; तथा
- (घ) पंद्रह लाख रुपए जहां ऐसी निधि को इसके सदस्यों से प्राप्त जमा की कुल राशि पचास करोड़ रुपए से अधिक है:

परंतु जहां किसी निधि को पिछले तीन वित्तीय वर्षों में लगातार कोई लाभ नहीं हुआ है तो वह निधि खंड (क), (ख), (ग) अथवा (घ) में विहित ऋण की अधिकतम राशि के पचास प्रतिशत से अधिक कोई नया ऋण नहीं देगी।

परंतु यह और कि कोई सदस्य किसी और ऋण के लिए पात्र नहीं होगा यदि किसी सदस्य ने निधि से पहले कोई ऋण लिया है और उस ऋण के पुनर्संदाय में व्यतिक्रम किया है।

(3) उपनियम (2) के प्रयोजनों के लिए, जमा की राशि पिछले लेखा संपरीक्षित वित्तीय विवरणी के आधार पर आकलित की जाएगी।

- (4) कोई निधि केवल अपने सदस्यों को निम्नलिखित प्रतिभूतियों के विरुद्ध ऋण देगी, अर्थात्:-
 - (क) सोना, चांदी और आभूषण:

परंतु कि ऐसे ऋण की पुनःसंदाय अवधि एक वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(ख) स्थावर संपत्ति:

परंतु स्थावर संपत्ति के प्रति कुल ऋण [संपत्ति का अंतरण अधिनियम, 1882 (1882 का 4) की धारा 69 के अधीन एक रिजस्ट्रीकृत बंधक होने के कारण रिजस्ट्रीकृत बंधक द्वारा संपत्ति की प्रतिभूति पर दिए गए बंधक ऋण को छोड़कर] बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तारीख को बकाया समग्र ऋण के पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगा, व्यक्तिगत ऋण प्रतिभूति के रूप में प्रस्तावित संपत्ति के मूल्य के पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगा और ऐसे ऋण की संदाय अवधि सात वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(ग) सावधि जमा राशि, राष्ट्रीय बचत पत्र, अन्य सरकारी प्रतिभूतियां और बीमा पॉलिसिय़ां:

परंतु सम्यक् रूप से उन्मोचित ऐसी प्रतिभूतियां निधि को बंधक रखी जाएंगी और इन प्रतिभूतियों की परिपक्वता की तारीख ऋण अवधि अथवा एक वर्ष, इनमें से जो पूर्वतर हो, के बाद नहीं होगी:

परंतु यह और कि सावधि जमा के विरूद्ध ऋण की दशा में, ऋण की अवधि सावधि जमा की असमाप्त अवधि से अधिक नहीं होगी।

16. ब्याज की दर – किसी निधि द्वारा दिए गए किसी ऋण पर लिए जाने वाले ब्याज की दर निधि द्वारा प्रस्तावित अधिकतम ब्याज दर से साढ़े सात प्रतिशत से अधिक नहीं होगी और इसकी गणना घटती अधिशेष पद्धति से की जाएगी:

परंतु निधि ऋणों के समान वर्ग के संबंध में उधार लेने वालों से ब्याज की समान दर पर प्रभार करेगी और सभी वर्गो के ऋणों की ब्याज दर निधि के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय और प्रत्येक शाखा कार्यालय में सूचना पट पर स्पष्ट प्रदर्शित की जाएगी।

- 17. निदेशकों से संबंधित नियम (1) निदेशक निधि का एक सदस्य होगा।
- (2) किसी निधि का निदेशक निधि के बोर्ड में लगातार दस वर्षों के कार्यकाल तक उस पद पर रहेगा।
- (3) कोई निदेशक पुनः नियुक्ति के लिए निदेशक से विरत होने के दो वर्ष समाप्त होने के पश्चात् पात्र होगा।
- (4) जहां किसी मामले में किसी निदेशक का कार्यकाल केन्द्रीय सरकार द्वारा पहले बढ़ा दिया गया है तो उस बढ़ाए गए कार्यकाल की समाप्ति पर कार्यकाल समाप्त हो जाएगा।
- (5) किसी निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाने वाला व्यक्ति, अधिनियम की धारा 152 की उपधारा (4) की अपेक्षाओं का अनुपालन करेगा और उसे अधिनियम की धारा 164 के उपबंधों के अनुसार नियुक्ति से निरर्हित नहीं होगा।
- 18. लाभांश कोई निधि पच्चीस प्रतिशत से अधिक अथवा ऐसी अधिक रकम, क्षेत्रीय निदेशक द्वारा कारणों को लेखाबद्ध करते हुए, विनिर्दिष्ट रूप से अनुमोदित की जाए, का लाभांश घोषित नहीं करेगी और यह आगे निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा:-
 - (क) समतुल्य राशि साधारण आरक्षिति में अंतरित की जाए;
 - (ख) परिपक्वता जमा और ब्याज के पुनःसंदाय में कोई व्यतिक्रम न की गई हो; और
 - (ग) उसने निधियों को लागू सभी नियमों का अनुपालन किया हो।
- 19. लेखापरीक्षक :- (1) कोई निधि किसी व्यक्ति के लगातार पांच वर्षों के एक कार्यकाल से अधिक समय के लिए लेखापरीक्षक नियुक्त अथवा पुननियुक्त नहीं करेगी।
- (2) कोई निधि किसी लेखापरीक्षा फर्म को लगातार पांच वर्षों के दो कार्यकाल से अधिक समय के लिए लेखापरीक्षक नियुक्त अथवा पुननियुक्त नहीं करेगी।

परंतु कोई लेखापरीक्षक (व्यक्ति अथवा लेखापरीक्षा फर्म) अपना कार्यकाल समाप्त होने के दो वर्षों की समाप्ति के पश्चात् फिर से नियुक्ति के लिए अर्हक होगी।

स्पष्टीकरण: इस परंतुक के प्रयोजन के लिए:

- (i) किसी लेखापरीक्षक (चाहें वह व्यक्ति अथवा लेखापरीक्षा फर्म हों) की दशा में, इन नियमों के प्रारंभ से पहले लेखापरीक्षक के रूप में धारित पद के कार्यकाल की अविध को लगातार यथास्थिति पांच वर्ष अथवा लगातार दस वर्ष, की गणना करने में सम्मिलित किया जाएगा;
- (ii) नियुक्ति के अंतर्गत पुनः नियुक्ति भी है।
- **20.** व्यवहार कुशल सिन्नियम मानक (1) प्रत्येक निधि निम्नलिखित के अनुसार बंधक ऋण अथवा आभूषण ऋण के संबंध में राजस्व स्वीकृति और आस्तियों के वर्गीकरण के लिए व्यवहार कुशल सिन्नियमों का पालन करेगी।
- (2) ब्याज जिसके अंतर्गत आय अथवा गैर-निष्पादन आस्तियों पर कोई अन्य प्रभार केवल तभी मान्य होगा जब उसे वास्तव में वसूल किया जाए और आस्ति के गैर-निष्पादन होने से पहले प्राप्त ऐसी कोई आय जो एक वर्ष तक वसूल नहीं होती है, को तत्काल उत्तरवर्ती वर्ष के लाभ और हानि विवरण में प्रतिवर्तित किया जाएगा।
- (3) (क) बंधक ऋणों के संबंध में आस्तियों का वर्गीकरण और निम्नलिखित उपबंध अपेक्षित होंगे;

आस्ति का प्रकार	अपेक्षित उपबंध
मानक आस्ति	कोई उपबंध नहीं
अव-मानक आस्ति	सकल बकाया राशि का 10%
संदिग्ध आस्ति	सकल बकाया राशि का 25%
हानि आस्ति	सकल बकाया राशि का 100%

परंतु कोई निधि इसमें विहित प्रतिशत से अधिक का उपबंध कर सकेगी ।

- (ख) समपार्शिक प्रतिभूति की प्राक्किलत वसूली योग्य मूल्य जिसके लिए किसी निधि को सकल बकाया रकम से घटाना विधि मान्य संसाधन होगा, यदि बंधक संपत्ति की विक्रय की कार्यवाही ब्याज, आय और बिना वसूल की गई किश्त के पूर्व दो वर्षों में किसी अदालत में शुरु की गई है, से घटाया जा सकता है।
- (4) कंपनियों की दशा में जो तारीख 26.07.2001 को और उससे पहले निगमित हुई थी, की दशा में ऐसी कंपनियां आय प्रतिवर्तन और गैर-निष्पादन आस्तियों के लिए 31.03.2002 तक वितरित ऋणों और बकाया ऋणों के संबंध में निम्नलिखित तालिका के अनुसार उपबंध करेंगी:

को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए	उपबंध का विस्तार
31.03.2015	पूर्व कॉलम में यथानिर्दिष्ट तीन वर्षों के दौरान समान आधार
31.03.2016	पर उपबंध नहीं किया गया अधिशेष।
31.03.2017	

- (5) (क) किसी वर्ष के वित्तीय विवरणी पर टिप्पण आलेख में दिखाया जाएगा-
 - आय प्रतिवर्तन और अप्राप्त गैर-निष्पादन आस्तियों के कारण किए जाने वाले उपबंध, यदि कोई हो, की कुल राशि
 - (ii) पूर्व वर्ष तक दी गई संचित राशि
 - (iii) चालू वर्ष में दी गई राशि: तथा
 - (iv) अधिशेष राशि जो दी जानी है।
 - (ख) यह प्रकटन तब तक जारी रहेगा जब तक पूरी राशि उपलब्ध न करा दी जाए।

- (6) सोना अथवा आभूषण के प्रति ऋणों के संबंध में -
- (क) सोना अथवा आभूषण की प्रतिभूति के प्रति बकाया ऋण की कुल राशि का प्रतिसंदाय की देय तारीख से तीन मास के भीतर वसूल अथवा नवीकरण की जाएगी;
- (ख) यदि तीन मास की उपरोक्त अवधि के भीतर ऋण की वसूली अथवा नवीकरण नही किया जाता और प्रतिभूति बेची नहीं जाती तो कंपनी अवसूल की गई रकम अथवा ऋण की कुल बकाया राशि उस पर लागू ब्याज सहित के बराबर चालू वर्ष के वित्तीय विवरणी में उपबंध करेगी:
- (ग) उपर्युक्त (क) में विनिर्दिष्ट तीन मास की अवधि समाप्त होने अथवा सोना अथवा आभूषण की बिक्री, इनमें से जो पूर्वतर हो, के पश्चात् ऐसे ऋणों पर कोई आय मान्य नहीं होगी; और
- (घ) ऋण के मूल्य का अनुपात 80 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

स्पष्टीकरण- इस नियम के प्रयोजन के लिए 'ऋण के मूल्य का अनुपात' पद में दिए गए ऋण की रकम और ऐसे सोने अथवा आभूषण के मूल्य के विरुद्ध दिए गए ऋण की रकम के मध्य अनुपात, से अभिप्रेत है।

- 21. अर्धवार्षिक विवरणी फाइल करना नियम 2 के अंतर्गत आने वाली प्रत्येक कंपनी प्रत्येक अर्धवर्ष की समाप्ति के तीस दिन के भीतर कंपनी (रजिस्ट्रीकरण कार्यालय तथा फीस) नियम, 2014 में विहित फीस के साथ प्ररूप एनडीएच-3 में रजिस्ट्रार को एक अर्धवार्षिक विवरणी दाखिल करेगी जिसे व्यवसायरत कंपनी सचिव अथवा चार्टर्ड अकांउटेंट अथवा लागत लेखाकार द्वारा सम्यक् रूप से प्रमाणित किया जाएगा।
- **22. लेखापरीक्षक का सबूत पत्र-** कंपनी का लेखा परीक्षक प्रत्येक वर्ष इस आशय का सबूत पत्र देगा कि कंपनी ने नियमों में अंतर्विष्ट सभी उपंबंधों का अनुपालन किया है और इस प्रकार का सबूत पत्र लेखापरीक्षा रिपोर्ट के साथ लगाया जाएगा और ऐसा न करने पर वह अलग से नियमों का उल्लेख करेगा जिनका अनुपालन नही किया गया हैं।

23 अनुपालन के लिए बाध्य करने की शक्ति -

- (1) इन नियमों का अनुपालन बाध्य करने के प्रयोजन के लिए कंपनी रजिस्ट्रार, निधि से ऐसी सूचना अथवा विवरणी मांग सकेगा जिसे वह आवश्यक समझे और अपने कार्यों के निर्वहन में सहायता के लिए समय-समय पर चार्टड अंकाउटेंट, व्यवसायरत कंपनी सचिव, लागत लेखाकार अथवा उनकी किसी फर्म की सेवाएं ले सकता है।
- (2) यदि कोई निधि इन नियमों का उल्लंघन करती है अथवा संगम ज्ञापन और अनुच्छेद की शर्तों के अनुसार कार्य नहीं करती है तो संबंधित क्षेत्रीय निदेशक निधि के प्रबंधन को अपने हाथ में लेने के लिए एक विशेष अधिकारी नियुक्त कर सकेगी और वह विशेष अधिकारी, क्षेत्रीय निदेशक द्वारा दिए गए दिशानिर्देशों के अनुसार कार्य करेगा: परंतु क्षेत्रीय निदेशक द्वारा कोई विशेष अधिकारी नियुक्त करने से पहले संबंधित निधि को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाएगा।
- 24. अननुपालन के लिए शास्ति यदि नियम 2 के अधीन आने वाली कोई कंपनी इसमें निर्धारित नियमों के किसी उपबंध का उल्लंघन करती है तो उस कंपनी और उसके प्रत्येक अधिकारी जो व्यतिक्रम करता है, को पांच हजार रुपए तक का जुर्माना हो सकेगा और जहां उल्लंघन जारी रहता है तो अतिरिक्त जुर्माने के प्रत्येक ऐसे दिन के लिए जिसके दौरान उल्लंघन जारी रहने की दशा में पांच सौ रुपए तक विस्तारित हो सकेगा, दंडनीय होगा।

उपाबंध

प्ररूप एनडीएच-1 सांविधिक अनुपालन की विवरणी

[निधि नियम, 2014 के नियम 5 के उपनियम (2) के अनुसरण में]

- 1. निधि की कारपोरेट पहचान संख्या (सीआईएन):
- 2. (क) निधि का नाम:
 - (ख) रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता:
 - (ग) ई-मेल आईडी, यदि हो:
 - (घ) दूरभाष:

_	, ,				_	~.	\sim	
3.	(क)	जापत	पर	हस्ताक्षर	करत	वाला	का	मरुया
Ο.	しいと	*11 1 1		6,411417	1. 7.1	31.711	1.1	(1011

- (ख) निगमन की तारीख से प्रथम वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक बनाए गए सदस्यों की संख्या
- (ग) ऐसे व्यक्तियों की संख्या जिन्होंने प्रथम वित्तीय वर्ष के अंत तक सदस्यता छोड़ दी है।
- (घ) पहले वित्तीय वर्ष के अंत में सदस्यों की संख्या
- 4. पहले वित्तीय वर्ष के अंत तक सदस्यों की संख्या 200 अथवा अधिक है हां

नद्रीं

5. यदि क्रम संख्या 4 का उत्तर नहीं है तो क्या समय बढ़ाने के लिए आवेदन रजिस्ट्रार को दिया गया है हां

नहीं

7.

यदि हां, आवेदन का एसआरएन

6. प्रदत्त सामान्य शेयर पूंजी
मुक्त आरक्षिति
घटाएं: संक्षिप्त हानि
अन्य अमूर्त आस्तियां
(ब्यौरा दें)

शुद्ध स्वामित्व निधि

भारमुक्त सावधि जमा (देखें नियम 14)

- (क) (I) अधिसूचित वाणिज्यिक बैंक में जमा (जमाओं) (रुपए में)
 - (II) डाकघर में जमा (रुपए में)

..... कुल भारमुक्त सावधि जमा

- (ख) दूसरे पूर्ववर्ती मास के अंतिम कार्यदिवस को व्यापार बंद करने पर बकाया जमा:
- (ग) (क)/(ख) का प्रतिशत:
- 8. शुद्ध स्वामित्व निधि और जमा का अनुपात:

सत्यापन

अंकीय हस्ताक्षर द्वारा

पदनाम (दिया जाना है)

प्ररूप पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का डिन

व्यवसायरत वृत्तिकों द्वारा प्रमाणपत्र

में यह घोषणा करता हूं कि इस प्ररूप के प्रमाणन के प्रयोजन के लिए मुझे सम्यक् रूप से नियुक्त किया गया है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि मैंने इस प्ररूप की विषय वस्तु और उससे संबंधित मामलों के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों को पढ़ा है तथा कंपनी (निधि का नाम) द्वारा रखे जा रहे मूल अभिलेख से, जो इस प्ररूप की विषयवस्तु है, उपर्युक्त विवरण (संलग्नक सहित) का सत्यापन किया जाता है और इन्हें सही, सत्य और पूर्ण पाया गया है तथा इस प्ररूप में कोई महत्वपूर्ण सूचना छिपाई नहीं गई है। मैं यह भी प्रमाणित करता हूं कि:

- क. उक्त अभिलेख कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) के संबंधित उपबंधों के अनुसार उचित ढ़ंग से तैयार किये गए है, उन पर कंपनी के अपेक्षित आधिकारियों द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं तथा रखे गए है और इन्हें सही पाया गया है:
- ख. सभी अपेक्षित संलग्नक पूरे हैं और इस प्ररूप के साथ संलग्न हैं:

हस्ताक्षर

व्यवसायरत चार्टड अकाउंटेंट/लागत लेखाकार/कंपनी सचिव एसोसिएट अथवा फेलो

सदस्यता संख्या और सीपी संख्या

टिप्पणी:

यह ई फार्म इलेक्ट्रानिक मोड के माध्यम से कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा रखी जा रही फाइल पर और फाइलिंग कंपनी द्वारा दिए गए सत्यता के विवरण के आधार पर लिया गया है। अधिनियम की धारा 448, जिसमें गलत विवरण तथा सबूतन के लिए दंड का उपबंध है. के उपबंधों की ओर भी ध्यान आकर्षित किया जाता है।

प्ररूप एनडीएच-2 अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन

[निधि नियम, 2014 के नियम 5 के उपनियम (3) के अनुसरण में]

क्षेत्रीय निदेशक कारपोरेट कार्य मंत्रालय (संबंधित क्षेत्राधिकार)

- निधि की कारपोरेट पहचान संख्या (सीआईएन):
- (क) निधि का नाम:
 - (ख) रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता:
 - (ग) ई-मेल आईडी, यदि हो:
 - (घ) दूरभाष:
- 3. निगमन की तारीख:
- आवेदन किया गया है : नियम के अनुपालन में अवधि बढ़ाना
 5(1)(क)
 - 5(1)(घ)
- पूर्व वित्तीय वर्ष के अंत में स्थिति
 (लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणी पर आधारित)
 - (क) सद्स्यों की संख्या
 - (ख) शुद्ध स्वामित्व निधि और जमा का अनुपात
- 6. अवधि जिसके लिए अपेक्षाओं के अनुपालन हेतु छूट चाहिए
- (क) नियम 5(1)(क) अथवा
- (ख) नियम 5(1)(घ) अथवा
- (ग) उपर्युक्त (क) और (ख) दोनों
- 7. नियम 5(1)(क) तथा/अथवा नियम 5(1)(घ) की अपेक्षाओं का अनुपालन न करने के कारण
- 8. आवेदन का विवरण(संक्षेप में)

(मंजूषा दी जाए)

सत्यापन

अंकीय हस्ताक्षर द्वारा

पदनाम (दिया जाना है)

प्ररूप पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का डिन
संलग्नक:
1. बोर्ड संकल्प
2. विस्तृत आवेदन
3. लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणी (अंतिम उपलब्ध)
4. आवेदन के कारण तथा औचित्य
टिप्पणी:
अधिनियम की धारा 448, जिसमें गलत विवरण तथा सबूतन के लिए दंड का उपबंध है, के उपबंधों की ओर भी ध्यान आकर्षित किया जाता है।
केवल कार्यालय प्रयोग के लिए; ई फार्म सेवा अनुरोध संख्या (एसआरएन)ई प्ररूप फाइलिंग तिथि
प्राधिकृत आधिकारी का डिजीटल हस्ताक्षर
यह ई प्ररूप एतदद्वारा अनुमोदित/अस्वीकृत किया जाता है।
हस्ताक्षर की तिथि

प्ररूप एनडीएच-3

(निधि नियम, 2014 के नियम 21 के अनुसरण में)

अर्द्धवार्षिक रिटर्न

(प्रतिवर्ष 30 सितंबर और 31 मार्च को समाप्त अर्द्धवर्ष के लिए समास्त सूचना भेजी जाए; यदि स्थान अपर्याप्त हो, तो अपेक्षित ब्यौरों के लिए अलग शीट संलग्न की जाए)

- 1. निधि का नाम
- 2. सीआईएन
- 3. रजिस्ट्रीकृत

4. शाखा विवरण

- (i) की कुल संख्या
- (ii) जिले में शाखाओं के नाम और पते
- (iii) जिले के बाहर शाखाओं के नाम और पते
- (iv) अर्द्धवर्ष के दौरान खोली गई शाखाओं की संख्या और उनके पते
- (v) अर्द्धवर्ष के दौरान बंद की गई शाखाओं की संख्या और उनके पते

5. सदस्यता

- (क) अर्द्धवर्ष के प्रांरभ में सदस्यों की कुल संख्या
- (ख) व्यक्तियों की संख्या जिन्हें अर्द्धवर्ष के दौरान सदस्य बनाया गया
- (ग) व्यक्तियों की संख्या जिन्हें अर्द्धवर्ष के दौरान सदस्यता से हटाया गया
- (घ) अर्द्धवर्ष के अंत तक कुल सदस्यों की संख्या

6. जमा (राशि रु. में)

सावधि का प्रकार	अर्धवर्ष के प्रारंभ में	अर्धवर्ष के	दौरान	अर्धवर्ष के	दौरान	अर्धवर्ष के	अंत	में
	जमा का शेष	प्राप्त		शोधित		जमा का शेष	1	
सावधि जमा								
आवर्ती जमा								
बचत जमा								
संचित जमा								

4		Tì	HE GAZE	TTE OF INDI	A : EXT	ΓRA	ORDINARY	[P	ART II—S	EC. 3(
										
अन्य, यदि र्व (विनिर्दिष्ट)	भ हा									
कुल	<u></u>	··· ÷,								
7. ऋण (र ऋणों का प्रकार			्रारंभ में	वर्ष के	दौरान		<u> </u>	2705-3	<u> </u>	
ऋणाकाप्रकार 		अधवष व ऋणकाशे		वष = क संवितरित	दाराग	वष	। क दारान प्राप्त		ष क अप ओंकाशेष	л +
अचल संपत्ति वे	र पति	यह अ अग र	14	सामसारस				72.91	या पग साप	
अवस्य समास म ऋण	7 71(1									
<u>अभूषण के प्रति</u>	ऋण									
जमा के प्रति ऋ										
अन्य ऋण,										
कोई हो (प्रति	तेभूति									
विनिर्दिष्ट करें)	•									
कर्मचारियों को	ऋण									
योग										
8. मुकदमों	, यदि	कोई हो, से	संबंधित ब्यौ	रेः						
अर्धवर्ष	के प्रारं	भ में	अर्धवर्ष के	दौरान दायर	अर्धवष	र्भ	के दौरान	अर्धवर्ष	के अंत	तक
				,	निपटा	ए ग	ए	लंबित		
मामलों	रार्	शे (रु पए)	मामलों	राशि (रुपए)	मामलं	Ť	राशि (रुपए)	मामलों	राशि (रु	पए)
की			की		की			की		
संख्या			संख्या		संख्या			संख्या		
9. वित्तीय	सारः									
	(i)	_		और जमा का अ	~					
	(ii	-		ग की कुल राशि			62 0		4	
	(ii	• •		यक बैंक/डाकघर -	जहा यह	ह जम्	मा रखा गइ ह,	कानाम अ	ार पता, प्रव	त्यकः
	<i>(</i> :-		ेराशि सहित एए जुए में	। भारमुक्त सावधि	. जगा ब		चेलच			
			_{।या जना} म यर पूजी (यो	9	जमा प	गत्रा	तरात			
			• •	ा) टपूंजी की राशि						
	(,			रभ में बकाया						
		` '	द्धपप गात्रा वधि के दौर							
		` '	पाय ग पार र्द्धवर्ष के अंत							
		(গ) স	द्धवष क अत	। म बकाया						
				सत्यापन	 Г					
मुझे कंपनी के नि	नेदेशक	बोर्ड ने इस	प्ररूप को		-	के	सकल्प संख्या		द्वारा ह	स्ताक्ष
करने और यह घोषणा करने के लिए प्राधिकृत किया गया है कि इस प्ररूप की विषयवस्तु और उससे संबंधित मामलों के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) और उसके अधीन बनाए गए नियमों की सभी अपेक्षाओँ का अनुपालन										
किया गया है। मैं		_		•					,	_
और पूर्ण है तथा										
व्यवसायिक (नाम	ग और [']	प्रकार अर्थात	ा सीए/सीएर	प्त/सीडब्लयूए/अन्	य) को इ	इस प्र	ायोजन के लिए	विधिवत् ।	नेयुक्त किय	।। गय
हैं।										
अंकीय हस्ताक्षरः										
पदनाम (दिया ज	~-		-							
प्ररूप पर हस्ताक्ष	र करने	वाले व्यक्ति	का डिन							

व्यवसायरत वृत्तिको द्वारा प्रमाणपत्र

मैं यह घोषणा करता हूं कि इस प्ररूप के प्रमाणन के प्रयोजन के लिए मुझे विधिवत नियुक्त किया गया है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि मैनें इस प्ररूप की विषय वस्तु और उससे संबंधित मामलों के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों को पढ़ा है तथा कंपनी (निधि का नाम) द्वारा रखे जा रहे मूल अभिलेख से, जो इस प्ररूप की विषयवस्तु है, उपर्युक्त विवरण (संलग्नक सहित) का सत्यापन किया जाता है और इन्हें सही, सत्य और पूर्ण पाया गया है तथा इस प्ररूप में कोई महत्वपूर्ण सूचना छुपाई नहीं गई है। मैं यह भी प्रमाणित करता हूं कि:

- क. उक्त अभिलेख कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) के संबंधित उपबंधों के अनुसार उचित ढ़ंग से तैयार किये गए है, उन पर कंपनी के अपेक्षित आधिकारियों द्वारा हस्ताक्षर किए गए है तथा रखे गए हैं और इन्हें सही पाया गया है:
- ख. सभी अपेक्षित संलग्नक पूरे हैं और इस प्ररूप के साथ संलग्न हैं:
- ग. मैं जानता हूं कि गलत सबूतन, यदि किसी स्तर पर पाया गया, तो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 448 के अंतर्गत मेरे विरूद्ध कार्रवाई की जा सकती है।

हस्ताक्षर

व्यवसायरत चार्टड अकाउंटेंट/लागत लेखाकार/कंपनी सचिव

एसोसिएट अथवा फेलों

सदस्यता संख्या और सीपी संख्या

टिप्पणी:

यह ई फार्म इलेक्ट्रानिक मोड के माध्यम से कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा रखी जा रही फाइल पर और फाइलिंग कंपनी द्वारा दिए गए सत्यता के विवरण के आधार पर लिया गया है। अधिनियम की धारा 448, जिसमें गलत विवरण तथा सबूतन के लिए दंड का उपबंध है. के उपबंधों की ओर भी ध्यान आकर्षित किया जाता है।

[फा. सं. 01/24/2013 - सीएल-v]

रेणुका कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 2014

- **G.S.R. 258(E).**—In exercise of the powers conferred under sub-section (1) of Section 406 read with subsections (1) and (2) of 469 of the Companies Act, 2013, the Central Government hereby makes the following rules, namely:—
- 1. Short title and commencement.—(1) These Rules may be called Nidhi Rules, 2014.
- (2) They shall come into force on the 1st day of April, 2014.
- **2. Application**.—These rules shall apply to,—
 - (a) every company which had been declared as a *Nidhi* or Mutual Benefit Society under sub-section (1) of Section 620A of the Companies Act, 1956;
 - (b) every company functioning on the lines of a *Nidhi* company or Mutual Benefit Society but has either not applied for or has applied for and is awaiting notification to be a *Nidhi* or Mutual Benefit Society under sub-Section (1) of Section 620A of the Companies Act, 1956; and
 - (c) every company incorporated as a *Nidhi* pursuant to the provisions of Section 406 of the Act.
- **3. Definitions.**—(1) In these rules, unless the context otherwise requires,—
- (a) "Act" means the Companies Act, 2013 (18 of 2013);
- (b) "Doubtful Asset" means a borrowal account which has remained a Non-performing asset for more than two years but less than three years;
- (c) "Loss Asset" means a borrowal account which has remained a Non-performing asset for more than three years or where in the opinion of the Board, a shortfall in the recovery of the loan account is expected because the documents executed may become invalid if subjected to legal process or for any other reason;

(d) "Net Owned Funds" means the aggregate of paid up equity share capital and free reserves as reduced by accumulated losses and intangible assets appearing in the last audited balance sheet:

Provided that the amount representing the proceeds of issue of preference shares shall not be included for calculating Net Owned Funds.

- (e) "Non-Performing Asset" means a borrowal account in respect of which interest income or instalment of loan towards re payment of principal amount has remained unrealised for twelve months;
- (f) "Standard Asset" means the asset in respect of which no default in re-payment of principal or payment of interest has occurred or is perceived and which has neither shown signs of any problem relating to re-payment of principal sum or interest nor does it carry more than normal risk attached to the business;
- (g) "Sub-Standard Asset" means a borrowal account which is a Non-performing asset:

Provided that reschedulement or renegotiation or rephasement of the loan instalment or interest payment shall not change the classification of an asset unless the borrowal account has satisfactorily performed for at least twelve months after such reschedulement or renegotiation or rephasement.

- (2) Words and expressions used herein, but not defined in these rules and defined in the Act or in the Companies (Specification of definitions details) Rules, 2014 shall have the same meaning as assigned to them in the Act or in the said Rules.
- **4. Incorporation and incidental matters.**—(1) A *Nidhi* to be incorporated under the Act shall be a public company and shall have a minimum paid up equity share capital of five lakh rupees.
- (2) On and after the commencement of the Act, no *Nidhi* shall issue preference shares.
- (3) If preference shares had been issued by a *Nidhi* before the commencement of this Act, such preference shares shall be redeemed in accordance with the terms of issue of such shares.
- (4) Except as provided under the proviso to sub-rule (e) to rule 6, no *Nidhi* shall have any object in its Memorandum of Association other than the object of cultivating the habit of thrift and savings amongst its members, receiving deposits from, and lending to, its members only, for their mutual benefit.
- (5) Every Company incorporated as a "Nidhi" shall have the last words 'Nidhi Limited' as part of its name.
- **5. Requirements for minimum number of members, net owned fund etc.**—(1) Every *Nidhi* shall, within a period of one year from the commencement of these rules, ensure that it has—
 - (a) not less than two hundred members;
 - (b) Net Owned Funds of ten lakh rupees or more;
 - (c) unencumbered term deposits of not less than ten per cent of the outstanding deposits as specified in rule 14; and
 - (d) ratio of Net Owned Funds to deposits of not more than 1:20.
- (2) Within ninety days from the close of the first financial year after its incorporation and where applicable, the second financial year, *Nidhi* shall file a return of statutory compliances in Form **NDH-1** along with such fee as provided in Companies (Registration Offices and Fees) Rules, 2014 with the Registrar duly certified by a company secretary in practice or a chartered accountant in practice or a cost accountant in practice.
- (3) If a *Nidhi* is not complying with clauses (a) or (d) of sub-rule (1) above, it shall within thirty days from the close of the first financial year, apply to the Regional Director in Form **NDH-2** along with fee specified in Companies (Registration Offices and Fees) Rules, 2014 for extension of time and the Regional Director may consider the application and pass orders within thirty days of receipt of the application.

Explanation.—For the purpose of this rule "Regional Director" means the person appointed by the Central Government in the Ministry of Corporate Affairs as a Regional Director;

(4) If the failure to comply with sub-rule (1) of this rule extends beyond the second financial year, *Nidhi* shall not accept any further deposits from the commencement of the second financial year till it complies with the provisions contained in sub-rule (1), besides being liable for penal consequences as provided in the Act.

6. General restrictions or prohibitions.—No Nidhi shall—

- (a) carry on the business of chit fund, hire purchase finance, leasing finance, insurance or acquisition of securities issued by any body corporate;
- (b) issue preference shares, debentures or any other debt instrument by any name or in any form whatsoever;
- (c) open any current account with its members;
- (d) acquire another company by purchase of securities or control the composition of the Board of Directors of any other company in any manner whatsoever or enter into any arrangement for the change of its

management, unless it has passed a special resolution in its general meeting and also obtained the previous approval of the Regional Director having jurisdiction over such *Nidhi*;

Explanation.—For the purposes of this sub-rule, "control" shall have the same meaning assigned to it in clause (27) of section 2 of the Act;

(e) carry on any business other than the business of borrowing or lending in its own name:

Provided that *Nidhi*s which have adhered to all the provisions of these rules may provide locker facilities on rent to its members subject to the rental income from such facilities not exceeding twenty per cent of the gross income of the *Nidhi* at any point of time during a financial year.

- (f) accept deposits from or lend to any person, other than its members;
- (g) pledge any of the assets lodged by its members as security;
- (h) take deposits from or lend money to any body corporate;
- (i) enter into any partnership arrangement in its borrowing or lending activities;
- (j) issue or cause to be issued any advertisement in any form for soliciting deposit:

Provided that private circulation of the details of fixed deposit Schemes among the members of the *Nidhi* carrying the words "for private circulation to members only" shall not be considered to be an advertisement for soliciting deposits.

- (k) pay any brokerage or incentive for mobilising deposits from members or for deployment of funds or for granting loans.
- **7. Share capital and allotment.**—(1) Every *Nidhi* shall issue equity shares of the nominal value of not less than ten rupees each:

Provided that this requirement shall not apply to a company referred to in sub-rules (a) and (b) of rule 2.

- (2) No service charge shall be levied for issue of shares.
- (3) Every *Nidhi* shall allot to each deposit holder at least a minimum of ten equity shares or shares equivalent to one hundred rupees:

Provided that a savings account holder and a recurring deposit account holder shall hold at least one equity share of rupees ten.

- **8. Membership.**—(1) A *Nidhi* shall not admit a body corporate or trust as a member.
 - (2) Except as otherwise permitted under these rules, every *Nidhi* shall ensure that its membership is not reduced to less than two hundred members at any time.
 - (3) A minor shall not be admitted as a member of Nidhi:

Provided that deposits may be accepted in the name of a minor, if they are made by the natural or legal guardian who is a member of *Nidhi*.

- **9. Net owned funds.**—Every *Nidhi* shall maintain Net Owned Funds (excluding the proceeds of any preference share capital) of not less than ten lakh rupees or such higher amount as the Central Government may specify from time to time
- **10. Branches.**—(1) A *Nidhi* may open branches, only if it has earned net profits after tax continuously during the preceding three financial years.
- (2) Subject to the provisions contained in sub-rule (1), a Nidhi may open up to three branches within the district.
- (3) If a *Nidhi* proposes to open more than three branches within the district or any branch outside the district, it shall obtain the prior permission of the Regional Director and an intimation is to be given to the Registrar about opening of every branch within thirty days of such opening.
- (4) No *Nidhi* shall open branches or collection centres or offices or deposit centres, or by whatever name called outside the State where its registered office is situated.
- (5) No *Nidhi* shall open branches or collection centres or offices or deposit centres, or by whatever name called unless financial statement and annual return (up to date) are filed with the Registrar.
- (6) A Nidhi shall not close any branch unless it-
- (a) publishes an advertisement in a newspaper in vernacular language in the place where it carries on business at least thirty days prior to such closure, informing the public about such closure;

- (b) fixes a copy of such advertisement or a notice informing such closure of the branch on the notice board of *Nidhi* for a period of at least thirty days from the date on which advertisement was published under clause (a); and
- (c) gives an intimation to the Registrar within thirty days of such closure.
- **11. Acceptance of deposits by** *Nidhis.*—(1) A *Nidhi* shall not accept deposits exceeding twenty times of its Net Owned Funds (NOF) as per its last audited financial statements.
- (2) In the case of companies covered under clauses (a) and (b) of rule 2 and existing on or before 26th July, 2001 and which have accepted deposits in excess of the aforesaid limits, the same shall be restored to the prescribed limit by increasing the Net Owned Funds position or alternatively by reducing the deposit according to the table given below:

TABLE

Ratio of Net Owned Funds to Deposits (as on 31.3. 2013)	Date by which the company has to achieve prescribed ceiling of 1:20
a) More than 1:20 but up to 1:35	By 31.3. 2015
b) More than 1:35 but up to 1:45	By 31.3. 2016
c) More than 1:45	By 31.3. 2017

- (3) The companies which are covered under the Table in sub-rule (2) above shall not accept fresh deposits or renew existing deposits if such acceptance or renewal leads to violation of the prescribed ratio.
- (4) The ratio specified in sub-rule (2) above shall also apply to incremental deposits.
- **12. Application form for deposit.—**(1) Every application form for placing a deposit with a *Nidhi* shall contain the following particulars, namely:—
 - (a) Name of *Nidhi*;
 - (b) Date of incorporation of *Nidhi*;
 - (c) The business carried on by *Nidhi* with details of branches, if any;
 - (d) Brief particulars of the management of *Nidhi* (name, addresses and occupation of the directors, including DIN);
 - (e) Net profits of *Nidhi* before and after making provision for tax for the preceding three financial years;
 - (f) Dividend declared by Nidhi during the preceding three financial years;
 - (g) Mode of repayment of the deposit;
 - (h) Maturity period of the deposit;
 - (i) Interest payable on the deposit;
 - (j) The rate of interest payable to the depositor in case the depositor withdraws the deposit prematurely;
 - (k) The terms and conditions subject to which the deposit may be accepted or renewed;
 - A summary of the financials of the company as per the latest two audited financial statements as given below:
 - (i) Net Owned Funds
 - (ii) Deposits accepted
 - (iii) Deposits repaid
 - (iv) Deposits claimed but remaining unpaid
 - (v) Loans disbursed against-
 - (a) immovable property;
 - (b) deposits; and
 - (c) gold and jewellery
 - (vi) Profit before tax
 - (vii) Provision for tax

- (viii) Profit after tax
- (ix) Dividend per share
- (m) any other special features or terms and conditions subject to which the deposit is accepted or renewed.
- (2) The application form shall also contain the following statements, namely:—
- (a) in case of Non-payment of the deposit or part thereof as per the terms and conditions of such deposit, the depositor may approach the Registrar of companies having jurisdiction over *Nidhi*;
- (b) in case of any deficiency of *Nidhi* in servicing its depositors, the depositor may approach the National Consumers Disputes Redressal Forum, the State Consumers Disputes Redressal Forum or District Consumers Disputes Redressal Forum, as the case may be, for redressal of his relief;
- (c) a declaration by the Board of Directors to the effect that the financial position of *Nidhi* as disclosed and the representations made in the application form are true and correct and that *Nidhi* has complied with all the applicable rules;
- (d) a statement to the effect that the Central Government does not undertake any responsibility for the financial soundness of *Nidhi* or for the correctness of any of the statement or the representations made or opinions expressed by *Nidhi*;
- (e) the deposits accepted by *Nidhi* are not insured and the repayment of deposits is not guaranteed by either the Central Government or the Reserve Bank of India; and
- (f) a verification clause by the depositor stating that he had read and understood the financial and other particulars furnished and representations made by *Nidhi* in his application form and after careful consideration he is making the deposit with *Nidhi* at his own risk and volition.
- (3) Every *Nidhi* shall obtain proper introduction of new depositors before opening their accounts or accepting their deposits and keep on its record the evidence on which it has relied upon for the purpose of such introduction.
- (4) For the purposes of introduction of depositors, a *Nidhi* shall obtain documentary evidence of the depositor in the form of proof of identity and address as under:

(a) Proof of Identity (any one of the following)

- (i) Passport
- (ii) Unique Identification Number
- (iii) Income-tax PAN card
- (iv) Elector Photo Identity Card
- (v) Driving licence
- (vi) Ration card

(b) Proof of address (any one of the following)

- (i) Passport
- (ii) Unique Identification Number
- (iii) Elector Photo Identity Card
- (iv) Driving licence
- (v) Ration card
- (vi) Telephone bill
- (vii) Bank account statement
- (viii) Electricity bill

(documents referred to serial numbers (vi), (vii) and (viii) above shall not be more than two months old)

- **13. Deposits.**—(1) The fixed deposits shall be accepted for a minimum period of six months and a maximum period of sixty months.
- (2) Recurring deposits shall be accepted for a minimum period of twelve months and a maximum period of sixty months
- (3) In case of recurring deposits relating to mortgage loans, the maximum period of recurring deposits shall correspond to the repayment period of such loans granted by *Nidhi*.

- (4) The maximum balance in a savings deposit account at any given time qualifying for interest shall not exceed one lakh rupees at any point of time and the rate of interest shall not exceed two per cent above the rate of interest payable on savings bank account by nationalised banks.
- (5) A *Nidhi* may offer interest on fixed and recurring deposits at a rate not exceeding the maximum rate of interest prescribed by the Reserve Bank of India which the Non-Banking Financial Companies can pay on their public deposits.
- (6) A fixed deposit account or a recurring deposit account shall be foreclosed by the depositor subject to the following conditions, namely:—
 - (a) a Nidhi shall not repay any deposit within a period of three months from the date of its acceptance;
 - (b) where at the request of the depositor, a *Nidhi* repays any deposit after a period of three months, the depositor shall not be entitled to any interest up to six months from the date of deposit;
 - (c) where at the request of the depositor, a *Nidhi* makes repayment of a deposit before the expiry of the period for which such deposit was accepted by *Nidhi*, the rate of interest payable by *Nidhi* on such deposit shall be reduced by two per cent from the rate which *Nidhi* would have ordinarily paid, had the deposit been accepted for the period for which such deposit had run:

Provided that in the event of death of a depositor, the deposit may be repaid prematurely to the surviving depositor or depositors in the case of joint holding with survivor clause, or to the nominee or to legal heir with interest up to the date of repayment at the rate which the company would have ordinarily paid, had such deposit been accepted for the period for which such deposit had run.

14. Un-encumbered term deposits.—Every *Nidhi* shall invest and continue to keep invested, in unencumbered term deposits with a Scheduled commercial bank (other than a co-operative bank or a regional rural bank), or post office deposits in its own name an amount which shall not be less than ten per cent of the deposits outstanding at the close of business on the last working day of the second preceding month:

Provided that in cases of unforeseen commitments, temporary withdrawal may be permitted with the prior approval of the Regional Director for the purpose of repayment to depositors, subject to such conditions and time limit which may be specified by the Regional Director to ensure restoration of the prescribed limit of ten per cent.

- **15**. **Loans.**—(1) A *Nidhi* shall provide loans only to its members.
 - (2) The loans given by a *Nidhi* to a member shall be subject to the following limits, namely:—
 - (a) two lakh rupees, where the total amount of deposits of such *Nidhi* from its members is less than two crore rupees;
 - (b) seven lakh fifty thousand rupees, where the total amount of deposits of such *Nidhi* from its members is more than two crore rupees but less than twenty crore rupees;
 - (c) twelve lakh rupees, where the total amount of deposits of such *Nidhi* from its members is more than twenty crore rupees but less than fifty crore rupees; and
 - (d) fifteen lakh rupees, where the total amount of deposits of such *Nidhi* from its members is more than fifty crore rupees:

Provided that where a *Nidhi* has not made profits continuously in the three preceding financial years, it shall not make any fresh loans exceeding fifty per cent of the maximum amounts of loans specified in clauses (a), (b), (c) or (d).

Provided further that a member shall not be eligible for any further loan if he has borrowed any earlier loan from the *Nidhi* and has defaulted in repayment of such loan.

- (3) For the purposes of sub-rule (2), the amount of deposits shall be calculated on the basis of the last audited annual financial statements.
- (4) A Nidhi shall give loans to its members only against the following securities, namely:—
 - (a) gold, silver and jewellery:
 - Provided that the re-payment period of such loan shall not exceed one year.
 - (b) immovable property:

Provided that the total loans against immovable property [excluding mortgage loans granted on the security of property by registered mortgage, being a registered mortgage under section 69 of the Transfer of Property Act, 1882 (IV of 1882)] shall not exceed fifty per cent of the overall loan outstanding on the date of approval by the board, the individual loan shall not exceed fifty per cent of the value of property offered as security and the period of repayment of such loan shall not exceed seven years.

(c) fixed deposit receipts, National Savings Certificates, other Government Securities and insurance policies:

Provided that such securities duly discharged shall be pledged with *Nidhi* and the maturity date of such securities shall not fall beyond the loan period or one year whichever is earlier:

Provided further that in the case of loan against fixed deposits, the period of loan shall not exceed the unexpired period of the fixed deposits.

16. Rate of interest.—The rate of interest to be charged on any loan given by a *Nidhi* shall not exceed seven and half per cent above the highest rate of interest offered on deposits by *Nidhi* and shall be calculated on reducing balance method:

Provided that *Nidhi* shall charge the same rate of interest on the borrowers in respect of the same class of loans and the rates of interest of all classes of loans shall be prominently displayed on the notice board at the registered office and each branch office of *Nidhi*.

- 17. Rules relating to Directors.—(1) The Director shall be a member of Nidhi.
- (2) The Director of a Nidhi shall hold office for a term up to ten consecutive years on the Board of Nidhi.
- (3) The Director shall be eligible for re-appointment only after the expiration of two years of ceasing to be a Director.
- (4) Where the tenure of any Director in any case had already been extended by the Central Government, it shall terminate on expiry of such extended tenure.
- (5) The person to be appointed as a Director shall comply with the requirements of sub-section (4) of Section 152 of the Act and shall not have been disqualified from appointment as provided in section 164 of the Act.
- **18. Dividend.-** A *Nidhi* shall not declare dividend exceeding twenty five per cent or such higher amount as may be specifically approved by the Regional Director for reasons to be recorded in writing and further subject to the following conditions, namely:—
 - (a) an equal amount is transferred to General Reserve;
 - (b) there has been no default in repayment of matured deposits and interest; and
 - (c) it has complied with all the rules as applicable to *Nidhi*s.
- **19. Auditor.**—(1) No Nidhi shall appoint or re-appoint an individual as auditor for more than one term of five consecutive years.
- (2) No Nidhi shall appoint or re-appoint an audit firm as auditor for more than two terms of five consecutive years:

Provided that an auditor (whether an individual or an audit firm) shall be eligible for subsequent appointment after the expiration of two years from the completion of his or its term:

Explanation: For the purposes of this proviso:

- (i) in case of an auditor (whether an individual or audit firm), the period for which he or it has been holding office as auditor prior to the commencement of these rules shall be taken into account in calculating the period of five consecutive years or ten consecutive years, as the case may be;
- (ii) appointment includes re-appointment.
- **20. Prudential norms.**—(1) Every *Nidhi* shall adhere to the prudential norms for revenue recognition and classification of assets in respect of mortgage loans or jewel loans as contained hereunder.
- (2) Income including interest or any other charges on non-performing assets shall be recognised only when it is actually realised and any such income recognised before the asset became non-performing and which remains unrealised in a year shall be reversed in the profit and loss account of the immediately succeeding year.
- (3) (a) In respect of mortgage loans, the classification of assets and the provisioning required shall be as under:

NATURE OF ASSET	PROVISION REQUIRED
Standard Asset	No provision
Sub-standard Asset	10% of the aggregate outstanding amount
Doubtful Asset	25% of the aggregate outstanding amount
Loss Asset	100% of the aggregate outstanding amount

- (b) The estimated realisable value of the collateral security to which a *Nidhi* has valid recourse may be reduced from the aggregate outstanding amount, if the proceedings for the sale of the mortgaged property have been initiated in a court of law within the previous two years of the interest, income or instalment remaining unrealised.
- (4) In case of companies which were incorporated on or before 26-07-2001, such companies shall make provisions in respect of loans disbursed and outstanding as on 31-03-2002 for income reversal and non-performing assets as per table given below:

For the year ended	Extent of provision
31-03-2015	Un-provided balance on equal basis over the three years
31-03-2016	as specified in the preceding column.
31-03-2017	

- (5) (a) The Notes on the financial statements of a year shall disclose-
 - (i) the total amount of provisions, if any, to be made on account of income reversal and non-performing assets remaining unrealised;
 - (ii) the cumulative amount provided till the previous year;
 - (iii) the amount provided in the current year; and
 - (iv) the balance amount to be provided.
 - (b) Such disclosure shall continue to be made until the entire amount to be provided has been provided for.
- (6) In respect of loans against gold or jewellery—
 - (a) the aggregate amount of loan outstanding against the security of gold or jewellery shall either be recovered or renewed within three months from the due date of repayment;
 - (b) if the loan is not recovered or renewed and the security is not sold within the aforesaid period of three months, the company shall make provision in the current year's financial statements to the extent of unrealised amount or the aggregate outstanding amount of loan including interest as applicable;
 - (c) no income shall be recognised on such loans outstanding after the expiry of the three months period specified in (a) above or sale of gold or jewellery, whichever is earlier; and
 - (d) the loan to value ratio shall not exceed 80 per cent.
 - *Explanation.* For the purposes of this rule, the term 'loan to value ratio' means the ratio between the amount of loan given and the value of gold or jewellery against which such loan is given.
- 21. Filing of half yearly return.—Every company covered under rule 2 shall file half yearly return with the Registrar in Form NDH-3 along with such fee as provided in Companies (Registration Offices and Fees) Rules, 2014 within thirty days from the conclusion of each half year duly certified by a company secretary in practice or chartered accountant in practice or cost accountant in practice.
- **22. Auditor's certificate.**—The Auditor of the company shall furnish a certificate every year to the effect that the company has complied with all the provisions contained in the rules and such certificate shall be annexed to the audit report and in case of non-compliance, he shall specifically state the rules which have not been complied with.
- **23. Power to enforce compliance.**—(1) For the purposes of enforcing compliance with these rules, the Registrar of companies may call for such information or returns from *Nidhi* as he deems necessary and may engage the services of

chartered accountants, company secretaries in practice, cost accountants, or any firm thereof from time to time for assisting him in the discharge of his duties.

(2) In respect of any *Nidhi* which has violated these rules or has failed to function in terms of the Memorandum and Articles of Association, the concerned Regional Director may appoint a Special Officer to take over the management of *Nidhi* and such Special Officer shall function as per the guidelines given by such Regional Director:

Provided that an opportunity of being heard shall be given to the concerned *Nidhi* by the Regional Director before appointing any Special Officer.

24. Penalty for non-compliance.- If a company falling under rule 2 contravenes any of the provisions of the rules prescribed herein, the company and every officer of the company who is in default shall be punishable with fine which may extend to five thousand rupees, and where the contravention is a continuing one, with a further fine which may extend to five hundred rupees for every day after the first during which the contravention continues.

Annexure

Form NDH-1

Return of Statutory Compliances

[Pursuant to sub rule (2) of rule 5 of Nidhi Rules, 2014]

- 1. Corporate Identification Number (CIN) of Nidhi:
- 2. (a) Name of the *Nidhi*:
 - (b) Address of the registered office:
 - (c) E-mail id, if any:
 - (d) Phone Number:
- 3. (a) Number of subscribers to the

Memorandum

- (b) Number of members admitted since date of incorporation upto the end of the first financial year
- (c) Number of persons who have ceased to be members upto the end of the first financial year
- (d) Number of members as at the end of the first financial year
- Whether the number of members as at the end of the first financial year is 200 or more

Yes No

5. If answer to Sl. No. 4 is No, whether application for extension of time has been made to Registrar

Yes

No

If yes, SRN of the application 6. Paid up equity share capital Free reserves Less: Accumulated Losses Other intangible assets (give breakup) Net Owned Funds -----7. Unencumbered Term Deposits (See rule 14) (a) (i) deposit(s) in scheduled commercial Banks(in Rs) (ii) Deposits in Post Office(in Rs) ------Total unencumbered term deposits -----(b) deposits outstanding at the close of business on the last working day of the second preceding month: (c) Percentage of (a)/(b):

8. Ratio of Net Owned Funds to Deposits:

Verification

To be digitally signed by

Designation (to be given)

DIN of the person signing the form

Certificate by practicing professional

I declare that I have been duly engaged for the purpose of certification of this form. It is hereby certified that I have gone through the provisions of the Companies Act, 2013 (18 of 2013) and rules thereunder for the subject matter of this form and matters incidental thereto and I have verified the above particulars (including attachment(s)) from the original records maintained by the Company (name of Nidhi) which is subject matter of this form and found them to be true, correct and complete and no information material to this form has been suppressed. I further certify that:

- a. The said records have been properly prepared, signed by the required officers of the Company and maintained as per the relevant provisions of the Companies Act, 2013 (18 of 2013) and were found to be in order;
- b. All the required attachments have been completely and legibly attached to this form;

Signature

Chartered Accountant/Cost Accountant/Company Secretary in practice whether Associate or Fellow

Membership No. and also CP No.

Note:

This eform has been taken on file maintained by the Registrar of companies through electronic mode and on the basis of statement of correctness given by the filing company. Attention is also drawn to provisions of section 448 of the Act which provide for punishment for false statement and certification.

Form NDH-2

Application for extension of Time

[Pursuant to sub-rule (3) of rule 5 of Nidhi Rules, 2014]

The Regional Director

Ministry of Corporate Affairs,

(respective jurisdiction)

- 1. Corporate Identification Number (CIN) of Nidhi:
- 2. (a) Name of the Nidhi:
 - (b) Address of the registered office:
 - (c) E-mail id, if any:
 - (d) Phone Number:
- 3. Date of Incorporation:
- 4. Application filed for: extension of time for complying with rule

5(1)(a)

5(1)(d)

5. Position as at the end of the previous financial year

(based on audited financial statement)

- (a) Number of members
- (b) Ratio of Net Owned Funds to Deposits
- 6. Period for which extension is sought for complying with the requirement of
- (a) Rule 5(1)(a) or
- (b) Rule 5(1)(d) or
- (c) Both (a) & (b) above
- 7. Reasons for not complying with the requirements of rule 5(1)(a) and/or rule 5(1)(d)
- 8. Details of application(inbrief)

(Box to be provided)

l.	 	 	 	 	 	 	 1	v erii	icatio	'n

To	be	digi	tallv	signed	bv
	~ •	~~~		255	~.,

Designation (to be given)

DIN of the person signing the form

Attachments:

- 1.Board resolution
- 2. Detailed application
- 3. Audited financial statements (last available)
- 4. Reasons and justification for the application

Note: Attention is also drawn to provisions of section 448 which provide for punishment for false statement and certification.

For office use only: E-form Service Request Number (SRN).......... E-form filing date....

Digital signature of the authorising officer

This e-form is hereby approved/rejected

Date of signing

FORM NDH-3

(Pursuant to rule 21 of Nidhi Rules, 2014)

HALF YEARLY RETURN

(All information shall be furnished for the half year ended 30th September and 31st March of every year; wherever space is not sufficient, separate sheet containing the required details shall be attached)

- 1. Name of the Nidhi
- 2. CIN
- 3. Registered office
- 4. Branch details
 - (i) Total Number of branches
 - (ii) Names and addresses of branches within the district
 - (iii) Names and addresses of branches outside the District, if any
 - (iv) Number of branches opened during the half year and their addresses
 - (v) Number of branches closed during

the half year and their addresses

5. Membership

- (a) Total number of members at the beginning of the half-year
- (b) Number of persons admitted as members during the half year
- (c) Number of persons who have ceased to be members during the half year
- (d) Total number of members at the end of the half year

6. Deposits (Amount in Rs)

0. Deposits (Allie	ount in Ks)			
Nature of deposits	Balance of deposits at	Received during	Repaid	Balance of deposits
	the beginning of the	the half year	during the half	at the end of the half
	half year		year	year
Fixed Deposit				
Recurring Deposit				
Savings Deposit				
Cumulative				
Deposit				
Others, if any				
(specify)				
TOTAL				

7. Loans (Amount in Rs)

7. Loans (Amount in Rs)								
Nature of Loans	Balance of Loan at the	Disbursed during	Realized	Balance of Loans				
	beginning of the half	the half year	during the half year	at the end of the				
	year			half year				
Loans against								
immovable								
property								
Loans against								
Jewels								
Loans against								
Deposits								
Other loans, if any								
(specify security)								
Loans to employees								
TOTAL								

8. Details relating to litigation, if any.

8. Details relating to higher in any.								
	At the beginning of		Filed during		Disposed off		Outstanding at the end	
	the half year		the half year		during the half year		of the half year	
	No. of	Amount	No. of	Amount	No. of	Amount	No. of	Amount
	cases	(Rs.)	cases	(Rs.)	cases	(Rs.)	cases	(Rs.)
Suit filed								
accounts								

9. Financial summary:

- (i) Ratio of Net Owned Funds to Deposits
- (ii) Total amount of unencumbered Term Deposits(Rs)
- (iii) Names and addresses of the Scheduled Commercial Bank/Post Office where such deposits have been Placed, with the amount of deposit in each.
- (iv) Percentage of unencumbered Term Deposits to the total deposits outstanding

- (v) Paid up share capital(total)
- (vi) Amount of paid up Preference Share capital
 - (a) Outstanding at the beginning of the half year
 - (b) Redeemed during the period
 - (c) Outstanding at the end of the half year

Verification

To be digitally signed by

Designation (to be given)

DIN of the person signing the form

Certificate by practicing professional

I declare that I have been duly engaged for the purpose of certification of this form. It is hereby certified that I have gone through the provisions of the Companies Act, 2013 (18 of 2013) and rules thereunder for the subject matter of this form and matters incidental thereto and I have verified the above particulars [including attachment(s)] from the original records maintained by the Company (name of Nidhi) which is subject matter of this form and found them to be true, correct and complete and no information material to this form has been suppressed. I further certify that;

- a. The said records have been properly prepared, signed by the required officers of the Company and maintained as per the relevant provisions of the Companies Act, 2013 and were found to be in order:
- b. All the required attachments have been completely and legibly attached to this form;
- c. It is understood that I shall be liable for action under Section 448 of the Companies Act, 2013 for wrong certification, if any found at any stage.

Signature

Chartered Accountant/Cost Accountant/Company Secretary in practice whether Associate or Fellow

Membership No. and also CP No.

Note: This eform has been taken on file maintained by the Registrar of Companies through electronic mode and on the basis of statement of correctness given by the filing company. Attention is also drawn to provisions of Section 448 which provide for punishment for false statement and certification.

[F. No. 1/24/2013-CL-V]

RENUKA KUMAR, Jt. Secy.